रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 1991/फाल्गुन 7, 1912
No. 76] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 1991/PHALGUNA 7, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1991

सा.का.नि. 90(अ).—रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की उप-धारा (1) तथा धारा 112 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल (घनीय दायित्व का विस्तार तथा प्रतिशत प्रभार का विहित किया जाना) नियम, 1990 में आगे संशोधन करने के लिए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) ये नियम रेल (घनीय दायित्व का विस्तार तथा प्रतिशत प्रभार का विहित किया जाना) संशोधन नियम, 1991 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. रेल (घनीय दायित्व का विस्तार तथा प्रतिशत प्रभार का विहित किया जाना) नियम, 1990 की अनुसूची II के भाग 1 के कालम (1) के अन्तर्गत :—

(1) क्रम संख्या 6 में "करेंसी नोट तथा सिक्के" शब्दों के लिए "सरकारी कोष से भिन्न करेंसी नोट तथा सिक्के" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) क्रम संख्या 7 में, "सरकारी स्टाम्प" शब्दों के लिए "डाक लेखन सामग्री और स्टाम्प से भिन्न सरकारी स्टाम्प तथा स्टाम्प लगे पत्र" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंग।

एस. के. मल्लिक, संयुक्त निदेशक

(रेलवे अधिनियम, सशोधन), रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 26th February, 1991

G.S.R. 90(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 112 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Extent of Monetary Liability and Prescription of Percentage Charge) Rules, 1990, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railways (Extent of Monetary Liability and Prescription of Percentage Charge) Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Under Column (1) of Part I of Schedule II of the Railways (Extent of Monetary Liability and Prescription of Percentage Charge) Rules, 1990,—

(a) in serial number 6 for the words "Currency notes and coins" the words "Currency notes and coins other than Government Treasure' shall be substituted.

(b) in serial number 7 for the words "Government stamps" the words Government stamps and stamped paper other than postal stationery and stamps" shall be substituted.

S. K. MALIK, Jt. Director,

(Railway Act Revision) Railway Board.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991